रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 819] नई दिल्ली, शुक्रवार, अक्तूबर 6, 2017/आश्विन 14, 1939
No. 819] NEW DELHI, FRIDAY, OCTOBER 6, 2017/ASHVINA 14, 1939

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 अक्तूबर, 2017

सं. 47/2017-सीमा शुल्क (एडीडी)

सा.का.नि. 1222(अ).—जबकि कि पदनामित प्राधिकारी ने, यूरोपीय संघ, ईरान, इंडोनेशिया और जापान, में मूलत: उदगमित अथवा वहां से निर्यात की गई तथा सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की प्रथम अनुसूची के टैरिफ मद के अंतर्गत आने वाले "मेलामाइन" पर, दिनांक 8 अक्तूबर, 2012 की सा.का.नि. सं. 754(अ) के अंतर्गत भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड-3, उपखंड (i), में प्रकाशित वित्त मंत्रालय, (राजस्व विभाग) की दिनांक 8 अक्तूबर, 2012 की अधिसूचना सं. 48/2012-सीमा शुल्क (एडीडी) के अंतर्गत लगाए गए प्रतिपाटन शुल्क को जारी रखने के मामले में सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की धारा 9क की उपधारा (5) की शर्तों के अनुसार तथा सीमा शुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उस पर प्रतिपाटित शुल्क का निर्धारण तथा संग्रहण तथा क्षति का अवधारण) नियमावली, 1995 के नियम 23 के अनुक्रम में भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-I, खंड 1, में दिनांक 22 सितम्बर, 2017 को प्रकाशित दिनांक 22 सितम्बर, 2017 के अधिसूचना सं0 7/14/2017- डीजीएडी के अंतर्गत समीक्षा प्रारंभ की थी तथा उपरोक्त सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 9 की उपधारा (5) के शर्तों के अनुसार एक और वर्ष के लिए प्रतिपाटन शुल्क को बढ़ाए जाने का अनुरोध किया है।

अब उपयुक्त सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 9क की उपधारा (1) और (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा उपयुक्त नियमों के नियम 23 के अनुक्रम में केन्द्र सरकार एतदद्वारा, भारत के राजपत्र असाधारण, भाग-II, खंड-3, उपखंड (i), में सा.का.नि. सं. 754(अ) के अंतर्गत दिनांक 8 अक्तूबर, 2012 को प्रकाशित भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, (राजस्व विभाग) की दिनांक 8 अक्तूबर, 2012 की अधिसूचना संख्या 48/2012-सीमा शुल्क(एडीडी) में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्—

उपर्युक्त अधिसूचना में, पैराग्राफ 2 के पश्चात और स्पष्टीकरण से पहले निम्नलिखित अंतस्थापित किया जाएगा, अर्थात्-

"3. पैराग्राफ 2 में विहित किसी भी बात के बावजूद, यह अधिसूचना 7 अक्तूबर, 2018 जिसमें यह तारीख भी शामिल है तक प्रभावी रहेगी, यदि इसे पहले रदद नहीं कर दिया जाए।"

[फा. सं. 354/319/2011-टीआरयू (भाग-1)]

मोहित तिवारी, अवर सचिव

टिप्पणी : मूल अधिसूचना सं.-48/2012-सीमा शुल्क (एडीडी), 8 अक्तूबर, 2012, सा.का.नि. 754(अ) दिनांक 8 अक्तूबर, 2012 में भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग-II, खंड-3, उपखंड (i), में प्रकाशित की गई थी।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 6th October, 2017

No. 47/2017-Customs (ADD)

G.S.R. 1222(E).—Whereas, the designated authority *vide* initiation notification No. 7/14/2017-DGAD, dated the 22th September, 2017, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part I, Section 1, dated the 22th September, 2017, had initiated review in terms of sub-section (5) of section 9A of the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975) (hereinafter referred to as the said Customs Tariff Act) and in pursuance of rule 23 of the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995 (hereinafter referred to as the said rules), in the matter of continuation of antidumping duty on imports of "Melamine", originating in, or exported from European Union, Iran, Indonesia and Japan, imposed *vide* notification of the Government of India, in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No.48/2012-Customs (ADD) dated the 08th October, 2012, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 754(E), dated the 8th October, 2012, and had recommended for extension of anti-dumping duty, in terms of sub-section (5) of section 9A of the said Customs Tariff Act.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (5) of section 9A of the said Customs Tariff Act and in pursuance of rule 23 of the said rules, the Central Government hereby makes the following amendment in the notification of the Government of India, in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 48/2012-Customs (ADD) dated the 8th October, 2012, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R.754 (E), dated the 8th October, 2012, namely:-

In the said notification, after paragraph 2 and before the explanation, the following paragraph shall be inserted, namely:—

"3. Notwithstanding anything contained in paragraph 2, this notification, unless revoked earlier, shall remain in force up to and inclusive of the 7th October 2018."

[F. No. 354/319/2011-TRU (Pt.-1)]

MOHIT TEWARI, Under Secy

Note : The principal notification No. 48/2012 Customs (ADD), dated the 8th October, 2012, was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 754(E), dated the 8th October, 2012.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR Date: 2017.10.09 14:51:33 +05'30'